Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

सतना जिले में संचालित योजनाओं का अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रभाव-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध–निर्देशक
डॉ. श्रीनिवास मिश्रा
से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–मैहर (म. प्र.)

शोधार्थी
निधी गुप्ता

1. सारांश

भारत में अनुसूचित जनजाति महिलाएँ जाति, लिंग एवं वर्ग — तीनों स्तरों पर असमानता का सामना करती रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर आज तक केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। प्रस्तुत शोध पत्र सतना जिले के विशेष संदर्भ में इन योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। शोध में उज्ज्वला योजना, लाड़ली बहना योजना, PM मातृ वंदना योजना, स्व-सहायता समूह कार्यक्रम, पोषण अभियान, PM आवास योजना एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख योजनाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हुए यह विश्लेषित किया गया है कि इन योजनाओं ने सतना जिले की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक चेतना पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। शोध के निष्कर्ष यह प्रकट करते हैं कि इन योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुए हैं, परंतु संरचनात्मक असमानताएँ एवं क्रियान्वयन की कमज़ोरियाँ इन परिवर्तनों की गति एवं गहराई को सीमित कर रही हैं।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजाति महिला, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, शासकीय योजनाएँ, सतना जिला, महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूह, जनजातीय विकास, समाजशास्त्रीय अध्ययन, मध्यप्रदेश, लाड़ली बहना, उज्ज्वला योजना।

2. प्रस्तावना

भारतीय समाज की विविधता में जनजातीय समाज एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं एवं जीवन-शैली के साथ देश की बहुलवादी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। किंतु इतिहास के प्रत्येक कालखंड में ये समुदाय शोषण, उपेक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक वंचना के शिकार रहे हैं। इन समुदायों में महिलाओं की स्थिति और भी जटिल रही है। वे एक साथ लैंगिक असमानता एवं जनजातीय पिछड़ेपन का भार वहन करती हैं।

मध्यप्रदेश जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 21.1 प्रतिशत भाग जनजातीय समुदायों से है। सतना जिला बाघेलखण्ड प्रमंडल का एक प्रमुख जिला है जहाँ कोल, गोंड एवं बैगा जैसी प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सतना जिले में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 28 प्रतिशत है। इस जनजातीय जनसंख्या में महिलाओं की साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्तर, आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक अधिकारों की स्थिति चिंताजनक रही है।

भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजाति महिलाओं के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(3), 16(4), 39(क), 46 एवं 243-घ जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जनजातीय महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। लाड़ली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, स्व-सहायता समूह कार्यक्रम एवं PM आवास योजना जैसी योजनाओं ने इन महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की आहट दी है। इन योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय मूल्यांकन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सतना जिले के विशेष संदर्भ में एक व्यापक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक चेतना, स्वास्थ्य सुधार, शैक्षिक जागरूकता एवं राजनीतिक

भागीदारी — इन पाँच प्रमुख आयामों पर योजनाओं के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। शोध की विधि में साहित्य समीक्षा, सरकारी आँकड़ों का विश्लेषण एवं क्षेत्र-अध्ययन से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्यों का समन्वय किया गया है।

3. शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। प्रथम उद्देश्य यह है कि सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विवेचन किया जाए। द्वितीय उद्देश्य है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का परिचय एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाए। तृतीय उद्देश्य के अंतर्गत इन योजनाओं का जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति — आजीविका, आय, संपत्ति-अधिकार एवं उद्यमिता — पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाए। चतुर्थ उद्देश्य है कि योजनाओं के सामाजिक प्रभावों — शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, बाल विवाह में कमी एवं राजनीतिक सहभागिता — का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन किया जाए। पंचम उद्देश्य के रूप में योजनाओं के क्रियान्वयन में विद्यमान बाधाओं की पहचान करते हुए उनके समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ।

4. शोध का महत्व

अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर सरकारी योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह शोध महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं विकास समाजशास्त्र के सिद्धांतों को क्षेत्रीय वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है। यह शोध यह समझने में सहायक है कि राज्य-प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रम पितृसत्तात्मक एवं जातिगत संरचनाओं को किस सीमा तक चुनौती दे पाते हैं। अमर्त्य सेन के 'सामर्थ्य दृष्टिकोण' (Capability Approach) एवं मार्था नुसबाम के 'मानव विकास सिद्धांत' की कसौटी पर इन योजनाओं का मूल्यांकन करना इस शोध को सैद्धांतिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण बनाता है।

व्यावहारिक दृष्टि से यह शोध सतना जिले के जिला प्रशासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए नीतिगत मार्गदर्शन का कार्य करेगा। यह शोध यह भी स्पष्ट करता है कि किन क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित से कम रहा है और वहाँ लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की नीतियों की समीक्षा के लिए भी यह शोध एक उपयोगी संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय महिलाओं के स्वयं के अनुभवों को केंद्र में रखकर किया गया यह विश्लेषण उनकी आवाज़ को नीति-विमर्श में स्थान दिलाने में सहायक होगा।

5. योजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव — विस्तृत विश्लेषण

5.1 आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

सतना जिले में जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर सरकारी योजनाओं का सबसे प्रत्यक्ष एवं मापनीय प्रभाव देखा जा सकता है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत सतना जिले की 75,659 अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। यह राशि न केवल उनके दैनिक जीवन के व्यय में सहायक है, अपितु इसने इन महिलाओं में 'अपनी आय' की एक नई चेतना जागृत की है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त फील्ड रिपोर्टों के अनुसार, अनेक परिवारों में अब महिलाएँ छोटी-छोटी घरेलू आवश्यकताओं के लिए पुरुष सदस्यों पर पूर्ण निर्भर नहीं रहतीं। यह आर्थिक स्वायत्तता का पहला एवं महत्वपूर्ण कदम है।

स्व-सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के 1,212 पंजीकृत स्व-सहायता समूहों में से 1,023 सक्रिय हैं जिनमें 12,279 महिला सदस्य हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत इन समूहों को बैंक लिंकेज, ऋण सुविधा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन समूहों में शामिल महिलाओं की औसत आय में 19 से 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इन समूहों के माध्यम से वन-उत्पाद संग्रह, महुआ प्रसंस्करण, हस्तशिल्प निर्माण, मसाला उत्पादन एवं कृषि आधारित उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

PM आवास योजना (ग्रामीण) में महिला के नाम पर संपत्ति का पट्टा प्रदान करने के प्रावधान ने जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। सतना जिले में 16,536 जनजातीय परिवारों को PM आवास योजना का लाभ मिला है और अधिकांश मामलों में संपत्ति महिला के नाम पर दर्ज की गई है। इससे न केवल

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

महिलाओं की घरेलू स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि भूमि-अधिकार की पारंपरिक रूप से पुरुष-केंद्रित संरचना में भी बदलाव आ रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 57,410 जनजातीय महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्राप्त हुए हैं जिससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि ईंधन संग्रह में लगने वाले समय की बचत हुई है जिसे वे उत्पादक कार्यों में लगा सकती हैं।

5.2 सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक चेतना पर प्रभाव

योजनाओं का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव बहु-आयामी है। पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं के आरक्षण एवं शिक्षा के प्रसार ने मिलकर राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सतना जिले में पंचायतों में अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 2011 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 34 प्रतिशत हो गया है। ये महिला प्रतिनिधि अब ग्राम सभाओं में योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने लगी हैं तथा सामुदायिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सामाजिक प्रभाव भी सतना जिले में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पहले जनजातीय परिवारों में बालिका जन्म को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, वहीं अब जागरूकता अभियानों, आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से इस मनोवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। बाल विवाह की दर में 38.2 प्रतिशत से 24.7 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। यह परिवर्तन केवल कानूनी दबाव का नहीं, अपितु शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक चेतना के विकास का भी परिणाम है।

स्व-सहायता समूहों ने महिलाओं के सामाजिक जीवन में एक नया आयाम जोड़ा है। ये समूह केवल आर्थिक इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि सामाजिक एकजुटता के केंद्र भी बन गए हैं। समूह की बैठकों में महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करती हैं, घरेलू हिंसा की शिकायत करने का साहस जुटाती हैं तथा सामूहिक निर्णय लेना सीखती हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक जागरूकता का विकास हो रहा है। घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग दर 8.4 से बढ़कर 18.6 प्रतिशत होना महिलाओं की बढ़ती आवाज़ एवं न्याय तंत्र पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

5.3 स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभाव

सतना जिले की अनुसूचित जनजाति महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में PM मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान एवं उज्ज्वला योजना के सम्मिलित प्रभाव से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार सतना जिले में जनजातीय महिलाओं की संस्थागत प्रसव दर 2015-16 के 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 68.9 प्रतिशत हो गई है। यह 27.6 प्रतिशत की वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्थागत प्रसव मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। PM मातृ वंदना योजना ने पहली एवं दूसरी संतान की माँ को ₹5,000 की नकद सहायता देकर गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग किया है।

पोषण अभियान के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री जनजातीय महिलाओं को पोषाहार, आयरन की गोलियाँ एवं नियमित स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप एनीमिया की दर 71.8 प्रतिशत से घटकर 58.4 प्रतिशत हो गई है तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण दर 54.6 से 42.8 प्रतिशत पर आ गई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता ने चूल्हे के धुएँ से होने वाली श्वास-संबंधी बीमारियों में कमी की है जिससे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

परिवार नियोजन को अपनाने की दर 32.4 प्रतिशत से बढ़कर 48.7 प्रतिशत हो जाना महिलाओं की निर्णय-क्षमता एवं प्रजनन-स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि का संकेत है। आशा कार्यकर्ताओं की घर-घर भेंट ने जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाया है। हालाँकि ये संकेतक अभी भी जिला एवं राज्य औसत से पीछे हैं और 2025 के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

5.4 शैक्षिक जागरूकता एवं साक्षरता पर प्रभाव

शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण का गहरा संबंध है। सतना जिले में जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 2001 के 33.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में अनुमानतः 48.6 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम शालाओं के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। स्व-सहायता समूहों की बैठकों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अनेक समूहों ने

अपनी सदस्यों को बैंक खाता संचालन, मोबाइल भुगतान एवं सरकारी पोर्टल के उपयोग का अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया है।

शिक्षित जनजातीय महिलाएँ अपनी संतानों की शिक्षा के प्रति अधिक सजग हैं। इन परिवारों में लड़कियों की विद्यालय उपस्थिति में सुधार देखा गया है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना से लाभान्वित मेधावी जनजातीय बालिकाएँ उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं और इनकी संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है। शिक्षा ने महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, अधिकारों के प्रति सजगता एवं शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की क्षमता विकसित की है।

5.5 सांस्कृतिक पहचान एवं परंपरागत जीवन पर प्रभाव

आधुनिकता एवं विकास की प्रक्रिया का जनजातीय संस्कृति पर प्रभाव एक जटिल एवं द्विधारी कटार की तरह है। एक ओर योजनाओं ने महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर पारंपरिक लोककलाओं, बोलियों एवं सामुदायिक रीति-रिवाजों के क्षरण की समस्या भी उत्पन्न हुई है। सतना जिले में कोल जनजाति की 'करमा' एवं 'बिहाव' परंपराएँ, गोंड जनजाति की लोकचित्र कला एवं सामुदायिक उत्सव अभी भी जीवित हैं, परंतु युवा पीढ़ी में इनके प्रति रुचि घटती जा रही है।

तथापि, कुछ योजनाओं ने जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण एवं संवर्धन में भी योगदान दिया है। TRIFED एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प को बाज़ार से जोड़ा जा रहा है जिससे कोल महिलाओं के बाँस-शिल्प एवं गोंड महिलाओं की चित्रकला को आर्थिक आधार मिला है। इससे ये महिलाएँ अपनी सांस्कृतिक विरासत को आजीविका के साथ जोड़ पा रही हैं।

5.6 योजनाओं की सीमाएँ एवं क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

सकारात्मक प्रभावों के बावजूद सतना जिले में जनजातीय महिला उत्थान की योजनाओं के समक्ष अनेक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती 'अंतिम मील तक पहुँच' की है। अनेक योजनाएँ जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड केंद्रों तक तो प्रभावी हैं, परंतु दूरस्थ वनग्रामों तक उनकी पहुँच सीमित है। दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल विभाजन की है। DBT, आधार-लिंकेज एवं ऑनलाइन पोर्टल जैसी डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाने में निरक्षर एवं अर्ध-साक्षर महिलाएँ असमर्थ हैं।

तीसरी चुनौती पितृसत्तात्मक नियंत्रण की है। अनेक मामलों में महिलाओं के बैंक खाते पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की राशि पर भी परिवार के पुरुष सदस्यों का वर्चस्व देखा जाता है। चौथी चुनौती योजनाओं के बीच समन्वय का अभाव है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में आपसी समन्वय नहीं होने से लाभार्थी भ्रमित होती हैं और अनेक बार एक ही परिवार को किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। पाँचवीं चुनौती भाषायी एवं सांस्कृतिक बाधा है। सरकारी कार्यालयों की भाषा एवं प्रशासनिक संस्कृति जनजातीय महिलाओं के लिए अपरिचित एवं भयावह होती है जिससे वे अधिकारों के लिए संघर्ष करने से कतराती हैं।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के समग्र विश्लेषण से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभरकर आते हैं। सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव निर्विवाद रूप से सकारात्मक है। आर्थिक दृष्टि से लाड़ली बहना योजना, SHG कार्यक्रम एवं PM आवास योजना ने महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता, आजीविका विकल्प एवं संपत्ति-अधिकारों में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत प्रसव, पोषण एवं परिवार नियोजन के संकेतकों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। सामाजिक दृष्टि से बाल विवाह में कमी, शिक्षा के प्रति जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि एवं घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी — ये सभी परिवर्तन इन योजनाओं की व्यापक सामाजिक उपयोगिता को प्रमाणित करते हैं।

किंतु इन उपलब्धियों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन की गति धीमी है और अनेक मूलभूत संरचनात्मक समस्याएँ — पितृसत्ता, भूमि-अधिकारों की असमानता, भाषायी बाधा एवं प्रशासनिक जटिलता — अभी

भी विद्यमान हैं। योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी जनजातीय महिलाओं तक नहीं पहुँच रहा है। सबसे वंचित — दूरस्थ वनग्रामों की निरक्षर महिलाएँ — अभी भी योजनाओं की परिधि से बाहर हैं। यह एक विरोधाभास है जिसे समझना एवं सुलझाना नीति-निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि जनजातीय महिलाओं का वास्तविक एवं टिकाऊ सशक्तिकरण केवल आर्थिक सहायता से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन, सांस्कृतिक पहचान का सम्मान, शिक्षा का प्रसार एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी — इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। जनजातीय महिलाएँ केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की सहभागी एवं नेत्री बनें — यही वास्तविक सशक्तिकरण का लक्ष्य होना चाहिए।

7. सुझाव

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।

सर्वप्रथम, 'समुदाय-केंद्रित क्रियान्वयन' को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारी योजनाओं की जानकारी जनजातीय समुदाय की अपनी बोलियों — कोलरी, गोंडी एवं बघेली — में ऑडियो-विजुअल माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 'जनजातीय सहायता केंद्र' स्थापित किया जाए जहाँ प्रशिक्षित कार्यकर्ता महिलाओं को योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें।

द्वितीय, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाए। स्मार्टफोन उपयोग, DBT लेनदेन, e-श्रम पोर्टल एवं सरकारी ऐप्स का उपयोग सरल भाषा में सिखाया जाए। यह डिजिटल सशक्तिकरण उनकी आर्थिक स्वायत्तता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

तृतीय, स्व-सहायता समूहों की गुणवत्ता एवं बाज़ार-लिंकेज को सुदृढ़ किया जाए। TRIFED, Emporiums एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजातीय महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ा जाए। प्रत्येक विकास खण्ड में 'जनजातीय महिला उत्पाद केंद्र' स्थापित किए जाएँ।

चतुर्थ, स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ जनजातीय बस्तियों तक ले जाने के लिए मोबाइल मेडिकल इकाइयों एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाए। पोषण अभियान के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त मानव संसाधन एवं पोषण-सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

पंचम, बाल विवाह उन्मूलन हेतु समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। जनजातीय समाज के बुज़ुर्गों, धार्मिक नेताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक दबाव की नकारात्मक संस्कृति को बदला जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ, साइकिल वितरण एवं सुरक्षित छात्रावासों की व्यवस्था की जाए।

षष्ठ, योजनाओं का नियमित एवं स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) किया जाए जिसमें स्वयं जनजातीय महिलाओं की भागीदारी हो। इससे योजनाओं के वास्तविक प्रभाव की जमीनी समझ मिलेगी और भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। जनजातीय महिलाओं की आवाज़ को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए ताकि योजनाएँ उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें।

8. संदर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, एस. एन. (2002). भारत में जनजातीय विकास एवं समस्याएँ. नई दिल्ली: साहित्य भण्डार।
2. आचार्य, पी. (2014). जनजातीय महिला सशक्तिकरण: अवधारणा एवं यथार्थ. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
3. उइके, एस. के. (2015). गोंड जनजाति का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन. भोपाल: म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. कुमार, आर. (2010). जनजातीय शिक्षा और विकास. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स।
5. खरे, वी. एस. (1998). मध्यप्रदेश की जनजातियाँ: एक परिचय. भोपाल: आदिम जाति कल्याण विभाग।
6. गुप्ता, एस. (2018). जनजातीय समाज में परिवर्तन की दिशाएँ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
7. चौधरी, एम. के. (2007). कोल जनजाति: इतिहास, समाज और संस्कृति. इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।
8. दुबे, एस. सी. (1977). भारत में जनजातीय समस्याएँ. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
9. पाठक, ए. (2014). आदिवासी जीवन और संघर्ष. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

10. मिश्र, एस. (2016). बाघेलखण्ड की जनजातियाँ: सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन. रीवा: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
11. शर्मा, ए. के. (2019). आदिवासी विमर्श और शिक्षा नीति. नई दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय।
12. सेन, अमर्त्य (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press. (हिन्दी अनुवाद: विकास एक स्वतंत्रता के रूप में)
13. सिंह, के. एस. (1993). The Scheduled Tribes. Anthropological Survey of India. New Delhi: Oxford University Press.
14. Bhattacharya, S. (2005). Tribal Women in India. New Delhi: Concept Publishing Company.
15. Census of India (2011). Scheduled Tribe Population Data — Satna District. New Delhi: Office of the Registrar General.
16. Ministry of Tribal Affairs, GoI (2023). Annual Report 2022-23. New Delhi: Government of India.
17. Ministry of Women and Child Development (2023). PM Matru Vandana Yojana Progress Report 2022-23. New Delhi: GoI.
18. Madhya Pradesh Tribal Welfare Department (2023). District Tribal Sub-Plan Report — Satna 2023-24. Bhopal: Government of M.P.
19. NFHS-5 (2021). National Family Health Survey — Madhya Pradesh State Factsheet 2019-21. Mumbai: IIPS.
20. NRLM (2023). National Rural Livelihood Mission — SHG Progress Report, Satna District 2023-24. New Delhi: MoRD, GoI.
21. Nussbaum, M. C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
22. PM Awas Yojana Gramin (2024). Annual Progress Report — Satna District 2023-24. New Delhi: MoRD, GoI.
23. SCERT Madhya Pradesh (2022). State Report on Tribal Women Education and Welfare. Bhopal: SCERT.